

मायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 76/2019

तारीखरजु:- 8/11/19

उनवान:- रामसिंह बनाम गोरधन वगै०

दावा वावत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
11/19	<p>वादी की ओर से श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट ने दावा वावत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 9.8.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
9-8-19	<p>वादी वकील उप० प्रतिवादी नं० 1 की ओर से श्री रामसिंह गुरा ने कालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं० 2,3 का पत्रावली उप० नहीं है। प.० सा. करौली पधार के आर्दिना दिनांक 12-9-19 को पेश हो।</p>
12-9-19	<p>वकूलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी को पधार है। अतः पत्रावली गताबुलार दिनांक 4-10-19 को पेश हो।</p>
6-10-19	<p>वकूलाय उप० प्रतिवादी नं० 2,3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। जबाबदावा पेश करने दिनांक 11-11-19 को पेश हो।</p>
11-11-19	<p>वकूलाय उप० प्रतिवादी नं० 1 का जबाबदावा पेश करने दिनांक 11-12-19 को पेश हो।</p>
11-12-19	<p>वकूलाय उप० जबाब पेश करने दिनांक 10-1-20 को पेश हो।</p>
10-1-20	<p>वकूलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी करौली में पधार है। अतः पत्रावली गताबुलार दिनांक 13-2-20 को पेश हो।</p>

2573-75
8/11/19

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला क
 दाया No. 76/19 उनका - रामसिंह वगैरे V/S गोरधन

दिनांक	फर्द अहकाम
13.2.20	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी वकीलमे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC एवं दस्तवेजात पेश बिधे / जिन्हे शामिल किया। उक्त पत्र की प्रति वकीलवादी को दिलवई। द० का जबाब पेश कले दिनांक 12.3.20 को पेश हो।
12.3.20	वकालत उप०। द० पेश कले दिनांक 16.4.20 को पेश हो।
27.8.20	लोक डाउन के कारण जनरल पेशी से पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कथय स्थगन रखा गया है। पीएसब अधिकारी करौली प्रचार केंद्र अनुसार दिनांक 24.9.20 को पेश हो।
24.9.20	वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी सुनाव. का. श. से सुनण पर पत्रावली गतानुसार दिनांक 5.11.20 को पेश हो।
5.11.20	वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी सुनाव. का. श. से सुनण पर पत्रावली गतानुसार दिनांक 24.11.20 को पेश हो।
24.11.20	वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी सुनाव. का. श. से सुनण पर पत्रावली गतानुसार दिनांक 5.1.21 को पेश हो।
5.1.21	वकील उभयपक्ष उप०। द० का जबाब पेश कले व कहल वस्तु दिनांक 6.1.21 को पेश हो।
6.1.21	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं है कई बार भाषाज दिलवई गई फिर भी वादी वकील एवं वादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं है अतः यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर न्याय से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
 उपस्थित अधिकारी टोडाभीम
 जिला-करीली